(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **इकबाल सिंह बैंस**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5809/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 27-06-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 134/अपील/2014-15

अशोक पिता अम्बारामजी
निवासी ग्राम गुणावद तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

मादु पिता केसरसिंह
निवासी गुणावद तहसील व जिला धार .....अनावेदक

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/8/19 **को पारित)**

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुणावद तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 373 रकबा 0.405 हेक्टेयर केसरसिंह पिता शोभाराम देशवाली के नाम दर्ज थी। भूमिस्वामी केसरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि कथित रूप से आवेदक को दिनांक 8-9-2008 को वसीयत की गई । केसरसिंह द्वारा वर्ष 1995 में उक्त भूमि का आधिपत्य आवेदक को दिया जिस पर आवेदक द्वारा निर्माण कार्य भी किया गया है । उक्त भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 31 में पारित आदेश दिनांक 12-8-2010 द्वारा अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया गया । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धार की नामान्तरण पंजी क्रमांक 31 में पारित आदेश दिनांक 12-8-2010

से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-11-2014 आदेश पारित कर अपील निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2014 से व्यथित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-06-2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) मूल खातेदार स्व. श्री केसरसिंह के द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित व तस्दीक करवाया था । केसरसिंह की मृत्यु पर वह दस्तावेज हक का दस्तावेज बन चुका है । उसका निष्पादन व तस्दीकरण अनुप्रमाणन राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर सिद्ध किया जा सकता है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष वसीयतनामे के गवाहान के शपथपत्र व साक्ष्य को व्यवहार प्रक्रिया संहिता अनुसार सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिये था ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य अपने आदेश में गलत अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में नामान्तरण कार्यवाही में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। नामान्तरण की प्रक्रिया में इश्तिहार आदि का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही आवेदक को नोटिस तामील कराया गया है । इसलिये आवेदक को अनावेदक की नामान्तरण की कार्यवाही की जानकारी नहीं होने के कारण आपत्ति पेश नहीं की जा सकी ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष सिविल न्यायालयों द्वारा पारित आदेश की प्रति पेश की थी जो मन्जूर की जाना चाहिये थी तथा आवेदक की वसीयत सही मानकर उस आधार पर अनावेदक का नामान्तरण अपास्त किया जाना चाहिये था ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 109 व 110 तथा नामान्तरण नियम 27 का पालन नहीं किया गया है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक पक्ष प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं ।

21/8/19

5/ निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । निगरानी का मूल आधार वह वसीयत है, जो निगरानीकर्ता के पक्ष में केसरसिंह ने कथित रूप से वर्ष 2008 में निष्पादित की, जबकि नामांतरण की समस्त प्रक्रिया वारिसों के हक के आधार पर की गई है । तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त न्यायालयों ने मादु पिता केसरसिंह को वारिस मानते हुए नामांतरण किया है । अब अगर निगरानीकर्ता वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहता है तो उसे दीवानी न्यायालय से ही स्वत्व का आदेश प्राप्त करना होगा । आवेदक ने नामांतरण के समय विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपत्ति नहीं की न ही केसरसिंह की मृत्यु के बाद उसने स्वत: नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया । अत: अब उक्त वसीयत के आधार पर पूर्व में हुई नामांतरण की कार्यवाही को पुन: खोलना न्यायोचित नहीं है । निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये ।

27/8/19

(इकबालसिंह बैंस)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर